बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

ज्ञापन

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्री कृष्ण कान्त लाल दास, सम्प्रति सेवानिवृत के द्वारा श्री राजेश कुमार, जन वितरण प्रणाली विक्रेता मो0– नकछेद टोला, हेन्द्री बाजार, मोतिहारी चौक, जिला– मोतिहारी से 4000/– (चार हजार) रूपये रिश्वत लेते हुए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा रंगे हाथ गिरफ्तार कर निगरानी थाना काण्ड संख्या–6/06 दिनांक–04.02.2006 धारा–7/13(2)–सह–पठित धारा– 13(1)डी0, भ्र0नि0 अधि0–1988 इनके विरूद्ध दर्ज करने के आरोप में इनके विरूद्ध विभागीय ज्ञाप ज्ञापांक– 451 दिनांक– 22.01.2008 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया था तथा उप निदेशक, खाद्य, आयुक्त का कार्यालय तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर को संचालन पदाधिकारी एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मोतिहारी को साक्ष्य उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया था। श्री दास सेवानिवृति के उपरान्त उनके विरूद्ध संचालित उक्त विभागीय कार्यवाही को विभागीय आदेश ज्ञापांक– 6522 दिनांक– 21.12.2017 द्वारा "बिहार पेंशन नियमावली" के नियम 43(बी0) के तहत सम्परिवर्तित किया गया ।

2. श्री दास के विरूद्ध संचालित उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन में अन्तिम रूप से मंतव्य/निष्कर्ष प्रतिवेदित नहीं किया गया है तथा उल्लेख किया गया है कि "श्री दास के विरूद्ध चलाये गये विभागीय कार्यवाही को फिलहाल स्थगित किया जा सकता है जिसका निष्पादन अन्तिम तौर पर सक्षम न्यायालय के द्वारा निर्गत न्यायादेश के आलोक में लिया जा सकेगा यानी श्री दास सक्षम न्यायालय से आरोप मुक्त हो जाते है तो विभागीय कार्यवाही बन्द कर दी जायेगी अथवा यदि श्री दास को सक्षम न्यायालय के द्वारा सजा दी जाती है तो विभागीय नियमों के अधीन श्री दास को सेवामुक्त करने की कार्रवाई की जा सकती है ।"

3. विदित हो कि सरकारी कर्मी/पदाधिकारी के विरूद्ध आपराधिक मामला दर्ज होने एवं विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने के परिप्रेक्ष्य में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक– 2324 दिनांक– 10.07.2007 द्वारा संसूचित किया गया है कि :–

".....जब भी किसी पदाधिकारी/कर्मचारी पर आपराधिक कदाचारों में लिप्त होने के कारण भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम एवं भारतीय दण्ड विधान के तहत फौजदारी मुकदमा किया जाय तो साथ–ही–साथ समुचित तथ्यों पर आधारित आरोप–पत्र गठित कर विभागीय कार्यवाही भी प्रारम्भ की जाय।" साथ ही कतिपय समरूप मामले में सक्षम प्राधिकार के स्तर से इस आशय का भी परामर्श/आदेश प्राप्त है कि आपराधिक मामला एवं विभागीय कार्यवाही दोनों पृथक कार्रवाई है एवं विभागीय कार्यवाही में यदि सरकारी कर्मी/पदाधिकारी द्वारा निर्धारित माप–दण्ड की अवहेलना की गयी प्रमाणित होती है तो उनके आधार पर दण्डादेश पारित करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया जाएगा ।

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि आरोपित पदाधिकारी जिनके विरूद्ध घुस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार करने के लिए आपराधिक मामला दर्ज है, के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित कर उक्त विभागीय कार्यवाही का निष्पादन भी अन्तिम रूप से किया जाना अपेक्षित है ।

4. अतः संचालन पदाधिकारी (उप निदेशक, खाद्य, आयुक्त का कार्यालय तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर) के द्वारा उपलब्ध कराये गये जॉच प्रतिवेदन पर समीक्षोपरान्त असहमत होते हुए प्राप्त जॉच प्रतिवेदन को पुनः आगे जॉच करने एवं प्रतिवेदन देने के लिए जॉच प्राधिकार (संचालन पदाधिकारी) को वापस किये जाने का निर्णय लिया जाता है । संचालन पदाधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि एक माह के अन्दर श्री दास के विरूद्ध गठित प्रपत्र 'क' एवं साक्ष्यों के आलोक में मामले की पुनः समीक्षा कर जॉच प्रतिवेदन सुस्पष्ट मंतव्य सहित निर्धारित समय सीमा के अन्दर विभाग को उपलब्ध करा देगें ।

5. साक्ष्य उपस्थापन पदाधिकारी सह जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मोतिहारी से अनुरोध है कि जॉच प्रतिवेदन निर्धारित समय के अन्दर उपलब्ध कराने हेतु संचालन पदाधिकारी को अपेक्षित सहयोग प्रदान करें ।

ह0/–
(चन्द्रशेखर)
सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक–प्र08वि0 मोतिहारी–01/2006 4621 /खाद्य,पटना/दिनांक 24/09/2018
प्रतिलिपि–जिला पदाधिकारी, मोतिहारी/उप निदेशक, खाद्य, आयुक्त का कार्यालय, तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर सह–संचालन पदाधिकारी (आरोप पत्र प्रपत्र 'क' साक्ष्य सहित एवं जॉच प्रतिवेदन की एक प्रति तथा श्री दास द्वारा समर्पित आवेदन की प्रति के साथ)/ जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मोतिहारी –सह–साक्ष्य उपस्थापन पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी–03 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा श्री कृष्ण कान्त लाल दास, सम्प्रति सेवानिवृत, आपूर्ति निरीक्षक, सदर दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/IX/XVIII
सरकार के अपर सचिव ।